भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 455

21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटकों के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

455. श्री पी. पी. चौधरी:
श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:
श्री बंटी विवेक साहू:
श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑटोमोबाइल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पाद आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मई 2026 तक इस योजना के अंतर्गत देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर राजस्थान राज्य में कितना निवेश हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है, कितने रोजगार सृजित हुए हैं और कितना स्थानीयकरण प्राप्त किया गया है;

(ग) इस योजना ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों और उनके संघटकों के स्थानीयकरण में योगदान दिया है,

(घ) इस योजना के अंतर्गत क्षेत्र-वार क्या प्रगति हासिल की गई है;

(ङ) मध्य प्रदेश राज्य में ऑटोमोबाइल क्षेत्र और उसके सहायक उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने तथा वहां निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से क्या विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं; और

(च) नागपुर के साथ निकटता और बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार छिंदवाड़ा जिले में ऑटो संघटक विनिर्माण इकाइयों, इलेक्ट्रिक वाहन सहायक उद्योगों की स्थापना और स्थानीय युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कोई विशेष पहल कर रही है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): सरकार ने भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों (एएटी) के

विनिर्माण के क्षेत्र में देश की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोबिल एवं ऑटो घटक उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम को दिनांक 23.09.2021 को अनुमोदित किया था। राजस्थान सहित सभी राज्यों में पीएलआई-ऑटो स्कीम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

मापदंड	**दिनांक 31.03.2026 तक की संचयी उपलब्धि**
निवेश (करोड़ रुपए)	44,326
वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष)2019-20 की तुलना में(करोड़ रुपए) (	52,414
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए)	2,386.36

घरेलू विनिर्माण तथा एएटी उत्पादों के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) अनिवार्य किया गया है। दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 18 आवेदकों को 154 उत्पादों/उत्पाद प्रकारों के संबंध में डीवीए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ङ) एवं (च): पीएलआई-ऑटो स्कीम का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सहित सम्पूर्ण देश में किया जा रहा है तथा स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित आवेदक देश में किसी भी स्थान पर अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस स्कीम के अंतर्गत किसी भी राज्य को कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाता है।

*****